संख्या-259/2019/102 आयोग/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर 2019

विषय: **मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 आयोग द्वारा निर्देशित/विचाराधीन व अन्य विभिन्न प्रकरणों में छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3245/स0क0/शिक्षा-अ/02/2019-20,दिनांक-29.11.2019, पत्रांक-3140/स0क0/शिक्षा-अ/04/1026/2019-20, दिनांक-19.11.2019, पत्रांक-3128/स0क0/शिक्षा-अ/04/132/2019-20,दिनांक-19.11.2019एवं पत्रांक-3138/ स0क0/शिक्षा-अ/04/922/2019-20, दिनांक-19.11.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रकरणों में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। **(धनराशि लाख में)**

| **क्रमसं0** | **रिट याचिका से सम्बन्धित प्रकरण/अन्य संदर्भ** | **देयता का संक्षिप्त विवरण** | **वांछित धनराशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ में विचाराधीन नोएडा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा के वर्ष 2013-14 के अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति। | संस्था के वर्ष 2013-14 के बी0टेक0 पाठ्यक्रम के 17 याची छात्रों की लम्बित देयता के भुगतान के सम्बन्ध में। | 16.45 |
| 2 | मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-36931/2016 आई0आई0एम0टी0 इंजीनियरिंग कालेज, मेरठ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत याची संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति। | याची संस्था में वर्ष 2014-15 के 23 छात्र/ छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में। | 19.57990 |
| 3 | रिट याचिका संख्या-51697/2016 राधा गोविन्द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-26.10.2016 के अनुपालन के अन्तर्गत याची संस्था में अध्ययनरत् वर्ष 2015-16 के 78 छात्र/ छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में। | याची संस्था में अध्ययनरत् वर्ष 2015-16 के 78 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में। | 13.31230 |
| 4 | रिट याचिका संख्या-60055/2017 मनोज कुमार व 46 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-15.12.2017 के अनुपालन में याची संस्था के उक्त 33 छात्र/छात्राओं के सापेक्ष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में। | विवेकानन्द कालेज आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, अलीगढ़ में वर्ष 2015-16 के 33 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में | 16.77350 |
| | | **योग** | **66.11570** |

**(रू0-छाछठ लाख ग्यारह हजार पांच सौ सत्तर मात्र)**

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-259/2019/102 आयोग /(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।